कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–2264/ **FP/UK/OFC/37445/2018** देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में जंगलात चौकी–सलीखाड–दारागाड–त्यूनी तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.879 हे0 वन भूमि पर विन्धिया टेलीकॉम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।
(Online file no - FP/UK/OFC/37445/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में जंगलात चौकी–सलीखाड–दारागाड–त्यूनी तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.879 हे0 वन भूमि पर विन्धिया टेलीकॉम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता, एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। चूँकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ब्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–11–568/2014 एफ.सी. दिनांक–02.02.2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 24.05.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 तथा तत्तक्रम में भार सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत विषयांकित परियोजना भी आती है। अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग में जंगलात चौकी–सलीखाड–दारागाड–त्यूनी तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.879 हे0 वन भूमि पर विन्धिया टेलीकॉम को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में** प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।
संलग्न– प्रस्ताव की हार्ड प्रति।

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या **/ FP/UK/OFC/37445/2018 तददिनांकित।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी –देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. M/S VINDHYA TELELINKS LIMITED Plot No. E-237, 3rd floor, Industrial Area, Phase VIII B, Mohali, Punjab.

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी